

Import Licence (DGFT) Guide

Logistics & Trade

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग - तैयार किया गया 28 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

प्रतिबंधित वस्तु के आयात हेतु डीजीएफटी (DGFT) लाइसेंस अनिवार्य है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल आयात-लाइसेंस (DGFT) में मार्गदर्शन देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

प्रतिबंधित-वस्तु आयात से पहले डीजीएफटी प्राधिकरण लेने हेतु उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)[]

कैसे जमा करें / दाखिल करें

डीजीएफटी पोर्टल पर वस्तु, मात्रा और औचित्य के साथ आयात-प्राधिकरण हेतु आवेदन करें; अनुमोदन आयात से पहले।

शुल्क और खर्च

डीजीएफटी नियमानुसार आवेदन शुल्क।

इसकी जाँच किससे कराएँ

एग्जिम/डीजीएफटी सलाहकार — प्रतिबंधित-वस्तु नीति और आवेदन हेतु।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

बिना प्राधिकरण प्रतिबंधित आयात पर ज़रूरी और दंड।

साथ के दस्तावेज़

- India Import Compliance Checklist
- BIS Certification Guide
- CDSCO / Drug Import Guide
- FSSAI Import Clearance Guide
- IEC Registration Guide
- Restricted / Prohibited Goods Checker

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।

